

प्रेस नोट थाना बांसगांव दिनांक 07.03.2021

शस्त्र अधिनियम में एक अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस उप महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व क्षेत्राधिकारी बांसगांव के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक भैया छविनाथ सिंह के निकट मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी कौड़ीराम उ०नि० रणजीत सिंह बघेल द्वारा मुखबीर खास की सूचना पर मय हमराह आरक्षीगण के बामकसद गिरफ्तारी हेतु मौके पर पहुँच कर मुखबीर खास के इशारे पर बताये गये व्यक्ति को गौतम फिलिंग पेट्रोल पम्प जगदीशपुर डिघवा के पास घेर घार कर समय करीब 7.40 बजे पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम रामऔतार पुत्र शंकर निवासी ग्राम पाली थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर बताया है। जिसकी तलाशी से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतुश बरामद हुआ। गिरफ्तारी के दौरान मा० सर्वोच्च न्याया० व मा०आयोग के आदेशों निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। उपरोक्त व्यक्ति को हिरासत पुलिस में लेकर स्थानीय थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

नाम पता अभियुक्तगण-

1. रामऔतार पुत्र शंकर निवासी ग्राम पाली थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

थाने पर पंजीकृत अभियोग का विवरण -

मु०अ०सं० 64/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का समय व स्थान-

दिनांक 07/03/2021 समय 7.40 बजे गिरफ्तारी का स्थान-जगदीशपुर डिघवा गौतम फिलिंग पेट्रोल पम्प के पास

गिरफ्तारी में शामिल टीम-

1. चौकी प्रभारी कौड़ीराम उ०नि० रणजीत सिंह बघेल
2. उ०नि० रितेश सिंह
3. का० सुनिल यादव
4. का० मो० सद्दाम